



Neutral Citation No.- 2026:AHC:55776

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2535 वर्ष 2026

रामखिलाड़ीआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : संजय विक्रम सिंह, विवेक कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक कुमार, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, केस अपराध संख्या 16 वर्ष 2025, धारा- 316(5) बी.एन.एस. , थाना- राजा का रामपुर, जिला- एटा के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक डाक विभाग का एक कर्मचारी है और गलती से उसने डाकघर की एक निश्चित राशि अपने पास रख ली थी, और अब उसने वह राशि, अर्थात 1,22,882/- रुपये, डाकघर को वापस कर दी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 09.06.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **रामखिलाड़ी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से विचलित न हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।
 - आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।
 - आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंध पत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जेल को 'जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा '**पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्रांट का बेल, इन रि: सुओ मोटो पिटीशन (क्रि.) नं.4 आफ 2021' (31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्टेड)** के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजी जाए।

18 मार्च, 2026

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।